[लोक सभा द्वारा 11.3.2016 को पारित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 47-सी

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2
नामांकन

3. आधार संख्या ।
4. आधार संख्या के गुण ।
5. कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु विशेष उपाय ।
6. कतिपय सूचना का अद्यतन ।

अध्याय 3
अधिप्रमाणन

7. कतिपय प्रसुविधाओं, सहायिकियों और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का सबूत ।
8. आधार संख्या का अधिप्रमाणन ।
9. आधार संख्या नागरिकता या अधिवास इत्यादि का साक्ष्य नहीं ।
10. केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार ।

अध्याय 4
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

11. प्राधिकरण की स्थापना ।
12. प्राधिकरण की संरचना ।
13. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।
14. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।
15. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।
16. पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर अध्यक्ष या सदस्यों पर निर्बंधन ।
17. अध्यक्ष के कृत्य ।
18. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
19. प्राधिकरण के अधिवेशन ।
20. रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
21. प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

खंड

22. प्राधिकरण की आस्तियों दायित्वों का अंतरण ।

23. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 5

अनुदान, निधि, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

24. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

25. अन्य फीस और राजस्व ।

26. लेखा और लेखा परीक्षा ।

27. विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि ।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

28. सूचना का संरक्षण और गोपनीयता ।

29. सूचना अंश बंटाने पर निर्बंधन ।

30. बायोमैट्रीक जानकारी संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना समझी जानी है ।

31. जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रीक सूचना का परिवर्तन ।

32. सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेख के प्रति पहुंच ।

33. कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

34. नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

35. जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्यांक धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

36. प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

37. पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति ।

38. केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति ।

39. केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति ।

40. अनुरोध करने वाली सत्ता द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

41. प्रज्ञापित अपेक्षाओं के अननुपालन के लिए शास्ति ।

42. साधारण शास्ति ।

43. कंपनियों द्वारा अपराध ।

44. भारत से बाहर कारित किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए अधिनियम लागू होना ।

45. अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति ।

46. शास्तियां अन्य दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

47. अपराधों का संज्ञान ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

खंड

48. केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण अतिष्ठित करने की शक्ति ।

49. सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना ।

50. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

51. प्रत्यायोजन ।

52. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

53. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

54. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

55. नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना ।

56. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है ।

57. अधिनियम, आधार संख्यांक का विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग निवारित नहीं करता है ।

58. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

59. व्यावृत्तियां ।

[लोक सभा द्वारा 11.3.2016 को पारित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 47-सी

[दि आधार (टार्गेटेड डिलीवरी आफ फाइनेंशियल एंड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेस) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016

भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करने के माध्यम से सुशासन वे रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान के लिए, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है, का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) यह जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय और इस अधिनियम में अन्यथा यथा

उपबंधित के सिवाय, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर इसके अधीन किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी लागू होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आधार संख्यांक" से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है ;

(ख) "आधार संख्या धारक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई आधार संख्यांक जारी किया गया है ;

(ग) "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी सत्यापित करता है ;

(घ) "अधिप्रमाणन अभिलेख" से अधिप्रमाणन के समय और अनुरोध करने वाले अस्तित्व की पहचान और उसको प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का अभिलेख अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(च) "प्रसुविधा" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रुप में कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(छ) "बायोमैट्रिक सूचना" से फोटो, उंगली छाप, आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति के अन्य ऐसे जैविक प्रतीक अभिप्रेत हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) "केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" से एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केंद्रीयकृत आंकड़ा आधार अभिप्रेत है, जिसमें आधार संख्यांक धारकों को तत्समान जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना के साथ ऐसे व्यष्टि को जारी किए गए सभी आधार संख्यांक अंतर्विष्ट हैं ;

(झ) "अध्यक्ष" से धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ञ) "कोर बायोमैट्रिक सूचना" से उंगली छाप, आइरिस स्कैन या ऐसे अन्य व्यक्ति के अन्य जैविक प्रतीक अभिप्रेत हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ट) "जनसांख्यिकीय सूचना" के अंतर्गत किसी व्यष्टि के संबंध में नाम, जन्म

तारीख, पता और अन्य सुसंगत जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु इसके अंतर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे ;

(ठ) "नामांकन करने वाला अभिकरण" से इस अधिनियम के अधीन व्यष्टियों की जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या किसी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ड) "नामांकन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी व्यष्टियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यष्टियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ढ) " पहचान सूचना" के अंतर्गत किसी व्यष्टि के संबंध में उसकी आधार संख्या, उसकी बायोमैट्रिक सूचना और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना है ;

(ण) "सदस्य" के अंतर्गत धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणीय रूपभेदों सहित अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(थ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(द) "हकदारी के अभिलेख" से किसी कार्यक्रम के अधीन किसी व्यष्टि को प्रदत्त या उसके द्वारा प्राप्त प्रसुविधाओं, सहायिकियों और सेवाओं के अभिलेख अभिप्रेत हैं ;

(ध) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन व्यष्टियों के नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई इकाई अभिप्रेत है ;

(न) "अनुरोध करने वाले अस्तित्व" से ऐसा अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी व्यष्टि की आधार संख्या, और जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को अधिप्रमाणन हेतु प्रस्तुत करता है ;

(फ) "निवासी" से कोई व्यष्टि जिसने भारत में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास में कुल मिलाकर एक सौ ब्यासी दिन या अधिक की अवधि के लिए निवास किया है, अभिप्रेत है ;

(ब) "सेवा" से किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदत्त कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सेवाएं हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ; और

(भ) "सहायिकी" से किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को नकद या वस्तु में किसी भी रूप में सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत

है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

अध्याय 2
नामांकन

आधार संख्यांक ।

3. (1) प्रत्येक निवासी अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना प्रस्तुत करते हुए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, समय-समय पर व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग को, जो आधार संख्या अभिप्राप्त करने का हकदार हो सकेगा, अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) नामांकन करने वाला अभिकरण, नामांकन के समय नामांकन कराने वाले व्यष्टि को ऐसी रीति में निम्नलिखित ब्यौरों के बारे में सूचित करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्थात् :–

(क) रीति जिसमे सूचना का उपयोग किया जाएगा ;

(ख) पाने वालो की प्रकृति, जिनके साथ अधिप्रमाणन के दौरान सूचना साझा की जानी आशयित है ; और

(ग) सूचना तक पहुंच हेतु अधिकार की विद्यमानता, ऐसी पहुंच हेतु अनुरोध करने के लिए प्रक्रिया और ऐसा व्यक्ति या प्रभारी विभाग के ब्यौरे, जिसको ऐसे अनुरोध किए जा सकते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण सूचना को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित करने के पश्चात् ऐसे निवासी को एक आधार संख्या जारी करेगा ।

आधार संख्यांक के गुण ।

4. (1) किसी व्यष्टि को जारी की गई किसी आधार संख्या को किसी अन्य व्यष्टि को पुनः समनुदेशित नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई आधार संख्या अनिश्चित संख्या होगी और उसका आधार संख्या धारक के गुणों या पहचान से कोई संबंध नहीं होगा ।

(3) कोई आधार संख्या, भौतिक या इलैक्ट्रोनिक रूप में अधिप्रमाणन और अन्य शर्तों के अध्यधीन जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्या धारक की पहचान के सबूत के रूप में किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रोनिक रूप" अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो उनको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है । 2000 का 21

कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों को आधार संख्यांक जारी करने हेतु विशेष उपाय ।

5. प्राधिकरण महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त जनों, अकुशल और असंगठित कर्मकारों, यायावरी जनजातियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनका कोई स्थायी निवास गृह नहीं है और व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष उपाय करेगा ।

कतिपय सूचना का अद्यतन ।

6. प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्या धारकों से अपनी जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना अद्यतन करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में उनकी सूचना की सतत यथार्थता सुनिश्चित की जा सके ।

अध्याय 3

अधिप्रमाणन

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का सबूत ।

7. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी साहियकी, प्रसुविधा या सेवा जिसके लिए व्यय भारत की संचित निधि से उपगत किया जाता है या उस से प्राप्ति उसका भाग होती है की शर्त के रूप में किसी व्यष्टि की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे व्यष्टि का अभिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यष्टि की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो व्यष्टि को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा रहा है ।

आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन ।

8. (1) प्राधिकरण, अनुरोध करने वाले अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किसी आधार संख्या धारक की आधार संख्या का अधिप्रमाणन उसकी बायोमैट्रिक सूचना या जनसांख्यिकिय सूचना, के संबंध में ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करेगा ।

(2) अनुरोध करने वाली अस्तित्व-

(क) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, किसी व्यष्टि की सहमति अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए उसकी पहचान सूचना एकत्र करने से पूर्व ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यष्टि की पहचान सूचना केवल केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को अधिप्रमाणन के लिए प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाए ।

(3) अनुरोध करने वाली सत्ता अधिप्रमाणन के लिए अपनी पहचान सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यष्टि को अधिप्रमाणन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे ऐसे रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए सूचित करेगी, अर्थात् :--

(क) सूचना की प्रकृति जिसे अधिप्रमाणन पर साझा किया जा सके ;

(ख) सूचना अधिप्रमाणन के दौरान प्राप्त सूचना का अनुरोध करने वाले अस्तित्व द्वारा जिसके लिए उपयोग किया जाए ; और

(ग) अनुरोध करने वाली सत्ता को पहचान सूचना प्रस्तुत करने के विकल्प ।

(4) प्राधिकरण, किसी कोर बायोमैट्रिक सूचना को अपवर्जित करते हुए, अधिप्रमाणन प्रश्न का उत्तर सकारात्मक, या नकारात्मक किसी अन्य समुचित उत्तर में ऐसी पहचान सूचना को साझा करते हुए देगी ।

आधार संख्या नागरिकता या अधवास, इत्यादि का साक्ष्य नहीं ।

9. आधार संख्या या उसका अधिप्रमाणन अपने आप में किसी आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार या सबूत प्रदत्त नहीं करेगी ।

केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार ।

10. प्राधिकरण, एक या अधिक अस्तित्वों को केन्द्रीय पहचान आंकड़ें निक्षेपागार को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए और किसी अन्य कृत्यों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए का पालन करने के लिए लगा सकेगा ।

अध्याय 4
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों को करने के लिए प्रवर्तन और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा।

प्राधिकरण की संरचना ।

12. प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जा वाले अध्यक्ष, अंशकालिक और पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त दो सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा, से मिलकर बनेगा ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

13. प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, तकनीकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित विषयों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव और ज्ञान रखने वाले योग्य, प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगेः

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने वे पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और दिलाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या सदस्य-

(क) लिखित रूप में तीस दिन से अन्यून की सूचना, केन्द्रीय सरकार को देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

(4) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक वे होंगे, जो विहित किए जाएं ;

अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह,--

(क) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के

रुप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(ग) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ;

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो गया है ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

पद की समाप्ति के पश्चात् नियोजन पर अध्यक्ष या सदस्यों पर निर्बंधन ।

16. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या उसके बिना किसी कारण से पद की समाप्ति पर, अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) अपने कार्यकाल के दौरान उस तारीख से जब से वह अपना पद धारित नहीं करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए हो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य किसी संगठन, कंपनी या किसी अन्य अस्तित्व में कोई नियोजन स्वीकार करता है या इनमें से किसी के प्रबंध से संबद्ध है प्राधिकरण द्वारा किए गए या संविदागत कोई कार्य ;

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा इसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी;

(ख) किसी विनिर्दिष्ट कार्यवाहियां संव्यवहार या बातचीत या ऐसे मामले के संबंध में जिसका प्राधिकरण कोई पक्षकार है और जिसकी बाबत अध्यक्ष या ऐसे सदस्य ने पद की समाप्ति के पूर्व प्राधिकरण के लिए कार्य किया था, या उसको सलाह उपलब्ध कराई थी, ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के लिए या उसकी ओर से कार्य नहीं करेगा ;

(ग) ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, जो उसने अध्यक्ष या किसी सदस्य के रुप में उस हैसियत में अभिप्राप्त की थी और जनता को अनुपलब्ध थी या उपलब्ध कराए जाने योग्य नहीं थी ;

(घ) कार्यालय में अपने अंतिम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक, किसी ऐसे अस्तित्व से सेवा संविदा नहीं करेगा, निदेशक मंडल की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा या नियोजन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, जिसका उससे उस पदावधि के दौरान प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शासकीय कार्य व्यवहार था ।

अध्यक्ष के कृत्य ।

17. अध्यक्ष के पास प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा और इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किऐ जाएं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से कम के नहीं होंगे ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,-

(क) प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन ;

(ख) कार्यचालन कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्राधिकरण द्वारा लिए गए विनिश्चय ;

(ग) प्राधिकरण के विनिश्चय और कार्यचालन कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा तैयर करने ;

(घ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना और बजट का निष्पादन करने ;

(ङ) ऐसे अन्य कार्यों का किया जाना या ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना जो विनियमों द्वारा विहित किए जाए ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए साधारण रिपोर्ट ;

(ख) कार्य के कार्यक्रम ;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष का वार्षिक लेखा ; और

(घ) आगमी वर्ष के लिए बजट ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा ।

प्राधिकरण के अधिवेशन ।

19. (1) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में (ऐसे प्राधिकरण का अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति सहित) कारबार संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, यदि किन्हीं कारणों से प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम सदस्य प्राधिकरण के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेश्न के समक्ष लाए जाते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा, विनिश्चित किए जाएंगे और मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुस्थिपति में पीठासीन सदस्य का मत द्वितीयक या निर्णायक होगा ।

(4) प्राधिकरण के सभी विनिश्चियों का अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा ।

(5) यदि को सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और जो इस प्रकार निदेशक रहते हुए प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विचार के लिए उद्भूत किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित रखता है, वह यथाशीघ्र उसकी जानकारी में सुसंगत परिस्थितियों के आने के पश्चात् ऐसे अधिवेशन में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

20. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान नहीं होगी कि,-

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

21. (1) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्राधिकरण की आस्तियों दायित्वों का अंतरण ।

22. प्राधिकरण की स्थापना से ही, -

(क) योजना आयोग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. ए-43011022009-प्रशासन-1, तारीख 28 जनवरी, 2009 द्वारा स्थापित भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ;

स्पष्टीकरण--ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण की आस्तियों के अंतर्गत सभी अधिकार और शक्तियां और सभी संपत्तियां, चाहे स्थावर हो या जंगम, जिसके अंतर्गत विशिष्टियां नकद अधिशेष, निक्षेप और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत सभी अन्य हक और अधिकार समझ जाएंगे, जो ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों और इससे संबंधित सभी लेखा बही और अन्य दस्तावेज; तथा दायित्वों के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं समझी जाएंगी ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण के संबंध में या उसके लिए उस दिन से ठिक पूर्व नामांकन के दौरान एकत्रित किए गए सभी आंकड़े और सूचना, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और सभी विषय तथा ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी बातें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या लगाई गई समझी जाएगी ;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां, प्राधिकरण का शोध्य समझी जाएंगी, ; और

(घ) उस दिन से ठीक पूर्व ऐसे भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित की जा सकती हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य ।

23. (1) प्राधिकरण, व्यष्टियों को आधार संख्यांक जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करेगा और इस अधिनियम के अधीन उनका अधिप्रमाणन करेगा ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में,

अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थात् -

(क) आधार संख्यांक के नामांकन के लिए जन सांख्यिकी सूचना और अपेक्षित बायोमेट्रिक सूचना के संग्रहण और उसके सत्यापन के लिए विनियम द्वारा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक चाहने वाले किसी व्यक्ति से जन सांख्यिकी सूचना और बायोमैटिक सूचना एकत्रित करना ;

(ग) केंद्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के क्रियान्वयन के लिए एक या अधिक अस्तित्वों को नियुक्त करना ;

(घ) आधार संख्यांक जनित करना और व्यक्तियों को सौंपना ;

(ङ) आधार संख्यांकों का अधिप्रमाणन करना ;

(च) केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में व्यक्तियों की सूचना ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बनाए रखना और अद्यतन करना ;

(छ) किसी आधार संख्यांक और उससे संबंधित जानकारी का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लोप करना और निष्क्रिय करना ;

(ज) विभिन्न फायदों, सहायिकियों, सेवाओं और अन्य प्रयोजनों के लिए आधार संख्या का उपभोग या उपयोग का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आधार संख्या उपयोग करने की रीति विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) रजिस्ट्रारों नामांकन करने वाले अभिकरणों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहृण के लिए विनियम द्वारा निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार की स्थापना करना, प्रचालन करना और बनाए रखना ;

(ट) आधार संख्यांक धारकों की सूचना इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययीन ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ठ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जानकारी और अभिलेख मंगाना, निरीक्षण और जांच करना तथा इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार, रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों और नियुक्त अन्य अभिकरणों के परिचालनों की संपरीक्षा करना ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन विनियम द्वारा आंकड़ा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकाल और अन्य तकनीकी रक्षोपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना ;

(ढ) विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नए आधार संख्यांक जारी करने के लिए विनियम द्वारा शर्तें और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करना ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करना या रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए ऐसी फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना ;

(त) ऐसी समितियां नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों ;

(थ) बायोमैट्रिक और संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए, आधार संख्यांकों के प्रयोग और उपयोग भी हैं जिनके अंतर्गत समुचित तंत्र के माध्यम से अनुसंधान करना ;

(द) रजिस्ट्रार, नामांकन करने वाले अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम द्वारा नीतियां और प्रक्रियां विकसित करना और विनिर्दिष्ट करना ;

(ध) व्यष्टियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन करने वाले अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सुविधा केंद्रों और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना ;

(न) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) प्राधिकरण,--

(क) जानकारी एकत्र करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने या प्रक्रियागत करने या व्यष्टियों को आधार संख्या परिदान करने के अधिप्रमाणन करने के संबंध में किन्हीं कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या अन्य अभिकरणों से, यथास्थिति, समझौता ज्ञापन या करार कर सकेगा ;

(ख) जानकारी एकत्रित करने, भंडारण करने, सुरक्षित रखने, प्रक्रियागत करने या अधिप्रमाणन करने या उसके संबंध में कोई अन्य कृत्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगा, ऐसे अभिकरणों को लगा सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा,

जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो ।

(4) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यथा अपेक्षित परामर्शदाताओं, सलाहकारों और अन्य व्यक्तियों को, ऐसे भत्तों और पारिश्रमिक तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लगा सकेगा ।

अध्याय 5

अनुदान, निधि, लेखा और संपरीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

24. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे ।

अन्य फीस और राजस्व ।

25. प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा ।

26. (1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा उस प्ररूप में जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदाय किया जाएगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके द्वारा प्राधिकरण के लेखाओं की

संपरीक्षा के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारण रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हैं और विशेष रूप से उसे लेखा बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र प्रस्तुत करने और मांगने का अधिकार होगा तथा ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण भी कर सकेगा ।

(4) नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के यथाप्रमाणित लेखाओं को उन पर उसकी लेखा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणी और वार्षिक रिपोर्ट आदि।

27. (1) प्राधिकरण ऐसे समय और ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, केन्द्रीय सरकार को, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय की बाबत ऐसी विवरणियों और विवरण तथा विशिष्टियों जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर अपेक्षा करे, पेश करेगा ।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष एक बार ऐसे प्ररूप और रीति, ऐसे समय पर जो में, विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए तैयार करेगा—

(क) पूर्व वर्षों के प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों का वर्णन ;

(ख) पूर्व वर्ष के लिए वार्षिक लेखा ; और

(ग) आगामी वर्ष के कार्यक्रम ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त हुई रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी ।

अध्याय 6

सूचना का संरक्षण

सूचना का संरक्षण और गोपनीयता ।

28. (1) प्राधिकरण व्यष्टियों की पहचान सूचना अभिलेखों के और अधिमाणन की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण, व्यष्टियों की पहचान सूचना अभिलेखों के और अधिप्रमाणन की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा ।

(3) प्राधिकरण, ऐसे सभी आवश्यक उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास या उसके नियंत्रण में जो सूचना जिसके अंतर्गत केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित सूचना भी है वह सुरक्षित है तथा पहुंच या प्रकटन से उसे संरक्षित किया गया है और दुर्घटना, आशय से नष्ट करना हानि और नुकसान के विरूद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण,-

(क) समुचित तकनीकी और संगठनिक सुरक्षा उपाय को अंगीकार और कार्यन्वित करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कृत्य के पालन के लिए सूचना

के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय के स्थान में अभिकरण, सलाहकार परामर्शकर्त्ता या अन्य व्यक्तियों को नियुक्त या लगाए जाने से सुनिश्चित करना ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर करार या विन्यास ऐसे अभिकरणों, सलाहकारों, परामर्शकर्त्ता या अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाता उन अधिरोपणों पर बाध्यता अधिरोपित के समतुल्य करना और प्राधिकरण से ऐसे अभिकरणों, सलाहकारों, परामर्शकर्त्ताओं और अन्य व्यक्तियों के कृत्य केवल अनुदेशों के अपेक्षित है ।

(5) तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसका कोई अधिकारियों अन्य कर्मचारियों या कोई अभिकरण, जो कि केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को बनाए रखता है, वह अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात् केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में एकत्रित कोई सूचना किसी एक को प्रकट नहीं करेगा :

परंतु कोई आधार संख्यांक धारक प्राधिकरण से उसकी कोर बायोमेट्रिक सूचना को छोड़कर अपनी पहचान सूचना देने के लिए अनुरोध कर सकता है और यह अनुरोध विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

सूचना अंश बंटाने पर निर्बंधन ।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन संग्रहित या सृजित कोर बायोमेट्रिक सूचना को,-

(क) चाहे किसी भी कारण के लिए किसी एक को बांटना; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन आधार संख्याक सृजन और अधिप्रमाणन के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन संगृहित या सृजित, कोर बायोमेट्रिक सूचना को छोड़कर, पहचान सूचना, अधिनियम के उपबंधो और विनियमों द्वारा ऐसी रीति से जो विनिर्दिष्ट की जाए के अनुसरण में केवल बाँटी जा सकती है ।

(3) किसी अस्तित्व अनुरोध के साथ उपलब्ध पहचान सूचना को ;-

(क) अधिप्रमाणन के लिए कोई पहचान सूचना प्रस्तुत करते समय पर विनिर्दिष्ट व्यष्टि के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग; या

(ख) व्यष्टि की पूर्व सहमति जिससे ऐसी सूचना उससे संबंधित है को छोड़कर और प्रकट नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी आधार संख्याक धार के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संगृहित या सृजित आधार संख्याक या कोर बायोमेट्रिक सूचना को विनयमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए को छोड़ कर प्रकाशित, प्रदर्शित या लोकजन के बीच में चिपकाया नहीं जाएगा ।

बायोमैट्रीक जानकारी संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना समझी जानी है ।

2000 का 21

30. इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप में एकत्रित और भंडारित बायोमैट्रीक सूचना " इलैक्ट्रानिक अभिलेख" और " संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े या सूचना" समझी जाएगी और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 और तदधीन बनाए गए नियम में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसी सूचना को, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त और उनके अल्पीकरण के विस्तार तक नहीं लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियां -

(क) "इलैक्ट्रानिक रूप" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में हैं; 2000 का 21

(ख) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में हैं; 2000 का 21

(ग) " संवेदनशील व्यक्तिगत आंकड़े या सूचना" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में हैं । 2000 का 21

जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रीक सूचना का परिवर्तन ।

31.(1) यदि किसी आधार संख्या धारक की कोई जनसांख्यिकीय सूचना गलत पाई जाती है या पश्चात्वर्ती परिवर्तित होती है, तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से उसके अभिलेख में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में ऐसी जन सांख्यिकीय सूचना को ऐसी रीति में परिवर्तित करने का अनुरोध करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) यदि किसी आधार संख्या धारक की कोई बायोमैट्रीक सूचना खो जाती है या किसी कारण से पश्चात्वर्ती परिवर्तित हो जाती है तो आधार संख्या धारक प्राधिकरण से उसके अभिलेख में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में ऐसी रीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) उपधारा (2) या उपधारा (1) के अधीन किसी अनुरोध की प्राप्ति पर, प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है तो ऐसे आधार संख्या धारक के संबंध में अभिलेख में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो अपेक्षित हो और ऐसे परिवर्तन को संबंधित आधार संख्या धारक को सूचित करेगा ।

(4) इस अधिनियम या इस निमित्त बनाए गए विनियमों में उपबंधित रीति में के सिवाय, केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में कोई पहचान सूचना परिवर्तित नहीं की जाएगी ।

सूचना रखना और अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध अभिलेख के प्रति पहुंच ।

32. (1) प्राधिकरण अधिप्रमाणन अभिलेखों में ऐसी रीति में रखेगा जो विनियमों द्वारा ऐसी अवधि द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) प्रत्येक आधार संख्यांक धारक अपने आधार संख्यांक उसके अधिप्रमाणन अभिलेख ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) प्राधिकरण, स्वयं या उसके नियंत्रणाधीन किसी सत्ता के माध्यम से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के बारे में कोई सूचना एकत्रित, संगृहित या अनुरक्षित नहीं करेगा ।

कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन ।

33. (1) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (2) की कोई बात सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का प्रकटन जिसके अंतर्गत अधिप्रमाणन अभिलेख की पहचान सूचना भी हैं, की बाबत लागू नहीं होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा किया आदेश प्राधिकरण को सूनने के अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (1); उपधारा (2) या उपधारा (3) के खण्ड (ख) की कोई बात केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश या निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी के निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया सूचना का प्रकटन जिसके अंतर्गत पहचान या अधिप्रमाण अभिलेख भी है को लागू नहीं होंगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश, इसके प्रभाव से पूर्व, विधि कार्य

विभाग और इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौघोगिकी विभाग में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और सचिवों से मिल कर बनने वाली एक अन्वेक्षा द्वारा प्राप्त किया जाएगा :

परन्तु यह और है कि इस उपधारा के अधीन जारी किसी निर्देश इसके जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए वैध होगा जिसे अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात तीन मास की अवधि के आगे बढ़ाया जा सकेगा । प्रकटन जिसके अंतर्गत पहचान सूचना भी है ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

नामांकन के समय प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

34. जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक कोई मिथ्या जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना उपलब्ध करवाकर प्रतिरूपण करता है या प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना को परिवर्तित करके आधार संख्यांक धारक के प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

35. जो कोई क्षति कारित करने या रिप्टि के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक को या आधार संख्यांक धारक की पहचान को विनियोजित करने के आशय से किसी आधार संख्यांक धारक की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना में किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह मृत हो या जीवित, वास्तविक हो या काल्पनिक प्रतिरूपण करके या प्रतिरूपण का प्रयास करके परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हज़ार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

प्रतिरूपण के लिए शास्ति ।

36. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहचान सूचना संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत न होते हुए शब्दों, आचरण या भावभंगिमा द्वारा यह बहाना करता है कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

पहचान सूचना के प्रकटन के लिए शास्ति ।

37. जो कोई नामांकन या अधिप्रमाणन के अनुक्रम में संगृहीत किसी पहचान सूचना को इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किए गए किसी करार या व्यवस्था के उल्लंघन में अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को साशय प्रकटन करता है, पारेषण करता है या नकल करता है या अन्यथा प्रसारित करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति ।

38. जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होने पर साशय,--

(क) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक पहुंच रखता है या पहुंच सुनिश्चित करता है ;

(ख) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडार माध्यम से कोई आंकड़ा डाउनलोड करता है प्रतिलिपि करता है या उद्धरण लेता है ;

(ग) कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक प्रवेश करता है या प्रवेश करवाता है ;

(घ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ो को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचवाता है ;

(ङ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार पहुंच से विछिन्न करता है या विछिन्न करवाता है ; या

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इंकार करता है या इंकार करवाता है ;

(छ) ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी को करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है ; या

(ज) किसी विकलनीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है अथवा उसके मूल्य या उपयोगिता या प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ण साधन द्वारा कम करता है ; या

(झ) नुकसान कारित करने के आशय से प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा किसी व्यक्ति से चोरी करवाता है या छिपवाता है या नष्ट करवाता है या परिवर्तित करवाता है,

ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए से अन्यून नहीं हो, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कम्प्यूटर संदूषण", "कम्प्यूटर वायरस" और "नुकसानी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में हैं । 2000 का 21

केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में आंकड़ा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति ।

39. जो कोई प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ा या किसी हटाने योग्य भंडार माध्यम में आंकड़े का उपयोग करता है या आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना को उपांतरित करने के आशय से छेड़छाड़ करता है या उसकी किसी सूचना में खोज करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

अनुरोध करने वाली सत्ता द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

40. जो कोई अनुरोध करने वाले अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लधंन में व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

प्रज्ञापित अपेक्षाओं के अननुपालन के लिए शास्ति ।

41. जो कोई अभ्यावेशन अभिकरण या अनुरोध करने वाले अस्तित्व होते हुए धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 8 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

साधारण शास्ति ।

42. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

43. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय भारसाधक था, और कंपनी के कारबार और कंपनी के आचरण के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और अपने

विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परताएं बरती थीं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या अनुमति से किया गया है या उनमें से किसी की ओर से कोई लापरवाही बरती गई है तो वे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दंडित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में भागीदार अभिप्रेत हैं ।

भारत से बाहर कारित किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए अधिनियम लागू होना ।

44. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर कारित किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी, उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के उपबंध, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर कारित किए गए किसी अपराध या उल्लंघन, यदि ऐसे कृत्य या आचरण में केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से संबंधित अपराध या उल्लंघन है, को लागू होंगे ।

अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति ।

45. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

शास्तियां अन्य दंडादेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

46. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन किसी अन्य शास्ति या दंडादेश को अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

47. (1) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचले न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण अतिष्ठित करने की शक्ति ।

48. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि--

(क) नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में

असमर्थ है ; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को हानि हुई है ; या

(ग) लोक आपात विद्यमान है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अधिक्रांत कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो राष्ट्रपति निदेश दें :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्राधिकरण के प्रस्थापित अधिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हों, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अधिक्रमित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर--

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही अपना पद, उसी रूप में रिक्त कर देंगे ;

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किया जा सकेगा या निर्वहन किया जा सकेगा, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं हो जाता है तब तक उनका उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्तियां, तब तक, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति द्वारा पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की और इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है पूरी रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

सदस्यों, अधिकारियों आदि का लोक सेवक होना ।

49. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होने के दौरान, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

50. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या अपने कृत्यों का पालन करने में,

नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर लिखित में दे सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार, को प्राधिकरण द्वारा जिम्में लिए गए तकनीकी या प्रशासनिक मामलों से संबंधित निदेश जारी करने के लिए सशक्त नहीं करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय, कि वह नीति का प्रश्न है या नहीं, अंतिम होगा ।

प्रत्यायोजन ।

51. प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 54 के अधीन शक्ति के सिवाय) प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

52. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें और वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष, धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी ;

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा सदस्यों को संदेय भत्ते या पारिश्रमिक ;

(ग) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(घ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (न) के अधीन प्राधिकरण की अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप ;

(च) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा ब्यौरे दिए जाएंगे ;

(छ) वह प्ररूप और रीति तथा समय, जब प्राधिकरण धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देगा ।

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

54. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा (2) के खंड (छ)के अधीन बायोमीट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जन सांख्यकीय सूचना, खंड (ड) के अधीन अभ्यावेशन अभिकरण द्वारा व्यष्टियों से जन सांख्यकीय और बायोमीट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्यांक जारी करने के लिए जन सांख्यकीय सूचना और बायोमीट्रिक सूचना के सत्यापन की रीति ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में आधार संख्यांक स्वीकार करने के लिए शर्तें ;

(घ) धारा 5 के अधीन व्यष्टियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जिनके लिए प्राधिकरण आधार संख्यांक आबंटित करने हेतु विशेष उपाय करेगा ;

(ङ) धारा 6 के अधीन बायोमीट्रिक सूचना और जन सांख्यकीय सूचना को अद्यतन करने की रीति ;

(च) धारा 8 के अधीन आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए प्रक्रिया ;

(छ) धारा 10 के अधीन केन्द्रीय पहचान आकड़ा निक्षेपागार द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(ज) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसके द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन जन सांख्यिकीय सूचना और बायोमीट्रिक सूचना और खंड (ख)के अधीन उनके संग्रहण की रीति ;

(ट) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह में व्यष्टियों की सूचना का अनुरक्षण और अद्यतन करने की रीति ;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (2)के खंड (छ) के अधीन आधार संख्यांक और उससे संबंधित सूचना का लोप या निष्क्रिय करने की रीति ;

(ड) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन विभिन्न प्रसुविधाएं, सहायकियां, सेवाएं और अन्य प्रयोजन जिसके लिए आधार संख्या प्रयुक्त की जा सकती है, प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आधार संख्याओं के उपयोग की रीति ;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण करने के निबंधन और शर्तें ;

(ण) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन आधार संख्यांक धारक की

सूचना देने की रीति ;

(त) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन आकड़े प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य प्रौद्योगिकी रक्षोपाय से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया ;

(थ) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन विद्यमान आधार संख्यांक धारक को नवीन आधार संख्यांक जारी करने की प्रक्रिया ;

(द) रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरण या अन्य सेवा प्रदाताओं को, धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन उनके द्वारा उपलब्ध कार्रवाई की गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस के संग्रहण हेतु प्राधिकृत करने की रीति ;

(ध) धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन रजिस्ट्रार, अभ्यावेशन अभिकरणों और अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां और पद्धतियां ;

(न) धारा 28 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा पहचान सूचना तक पहुंच की रीति ;

(प) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित बायो मीट्रिक सूचना से भिन्न पहचान सूचना साझा करने की रीति ;

(फ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन जन सांख्यिकीय सूचना और उपधारा (2) के अधीन बायोमीट्रिक सूचना के परिवर्तन की रीति ;

(ब) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अधिप्रमाणन की रीति और उसके अनुरोध के ब्यौरे अनुरक्षित करने और उस पर प्रतिक्रिया करने का समय, उपधारा (2) के अधीन आधार संख्यांक धारक द्वारा अभिप्रमाणित अभिलेख अभिप्राप्त करने की रीति ;

(भ) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना ।

55. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम अथवा विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम अथवा विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है ।

56. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

अधिनियम, आधार संख्यांक का विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग निवारित नहीं करता है ।

57. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी राज्य या किसी निगमित निकाय अथवा व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि या इस प्रभाव की किसी संविदा के अनुसरण में, किन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग करने से नहीं रोकेगी :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन आधार संख्यांक का उपयोग अध्याय 6 और 8 के अधीन प्रक्रिया और बाध्यताओं के अध्यधीन रहते हुए होगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

58. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

व्यावृत्तियां ।

59. भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना संख्यांक ए-43011/02/2009-प्रशासन.1, तारीख 28 जनवरी, 2009, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2492 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2015 जैसा भी मामला हो, के संकल्प के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

GMGIPMRND—4998LS(CRC)—11-03-2016.